


५/१/२३ पत्रावली आज दावे की पत्रावली के साथ लम्बे-  
जई। पत्नील प्रणी व स्वयं प्रणी उरा दावा किशो दान  
पर ज्ञा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का किशो हेतु न्ये जाने  
पर ज्ञा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का किशो (आरिज) किफ  
जाता है। ज्ञा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का आरिज होने से  
न्यायालय का पूर्व स्थगन आदेश दिनांक २७/०/२३  
का पुनरावहीन हो गया। पत्रावली वाद तहमील सामिल  
दफ्तर है।

२/१/२३

  
उपस्थित अधिकारी  
महाराष्ट्र (रायपुर)